राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 17/2018/जयपुर

मैसर्स कुमावत एण्ड कम्पनी,
कुमावत सदन, नरैना रोड़,
दूदू (जयपुर) .....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त(प्रशासन) तृतीय
वाणिज्यिक कर, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित
श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **अपीलीय अधिकारी** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **अधिनियम** कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **कर निर्धारण अधिकारी** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011–12 में रिटर्न पेश नहीं करने एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट–11/वेट–10ए वक्त कर निर्धारण प्रस्तुत नहीं की है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने स्वविवेक के आधार पर आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2014 को एकपक्षीय पारित करते हुए कर रू0 4,87,608/–, ब्याज रू0 1,36,530/– तथा शास्ति रू0 5,000/– कुल रू0 6,29,138/– अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, अतः प्रकरण रि–ओपन करने हेतु अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.01.2014 पारित कर रू. 6,29,138/– की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण पारित करने हेतु नोटिस जारी किया, किन्तु उसकी पालना में नियत तिथि तक अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही कोई विवरणी प्रेषित की गई है। उनका कथन है कि नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.01.2014 पारित करते हुए रू0 6,29,138/–की मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद कालातीत होने एवं व्यवहारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण गत वर्ष के आधार पर सर्वोतम बुद्धि विवेक से एकतरफा कर निर्धारण गत वर्ष के कुल व्यापारवर्त मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2014 को आदेश पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में नोटिस जारी करने का उल्लेख किया है परन्तु नोटिस तामील के सम्बन्ध में कोई विवरण या उल्लेख नहीं किया है व न ही एकपक्षीय कार्यवाही का उल्लेख है जिससे नोटिस की तामील हुई या नहीं स्पष्ट नहीं है जिससे अपीलार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है।

लगातार.....3

6. अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.08.2014 को तामील करवा दिया था जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने रि–ओपन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2017 को प्रस्तुत किया है जो कि समय मियाद बाहर है। उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण पारित करने हेतु नोटिस तामील करवा दिया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनेदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारीं की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस निर्णय की प्राप्ति के दो माह के भीतर पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

7. फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 15.01.2014 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.03.18 को पेश हो।

8. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य